संख्या-01/2020/112/तीस-2-2020

प्रेषक

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम
लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 जनवरी 2020

विषय-उ0प्र0 राज्य सडक परिहवन निगम के कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों की भॉति ए0सी0पी0 की सुविधा अनुमन्य किये जाने के संबंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र संख्या-4722सीईएनटी/2019-592 निगम/2008 वैल्यू-2 दिनांक 09-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम के कार्मिकों को ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की संस्तुति करते हुए शासन स्तर पर कार्यवाही की अपेक्षा की गई है ।

२. आप अवगत है कि उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम के कार्मिको को ए0सी0पी0 की अनुमन्यता के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 16-03-2015 के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगतियों के निराकरण हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग के स्तर पर दिनांक 17-12-2019 को बैठक आहूत की गयी थी। उक्त बैठक में विचार-विमर्श के उपरांत यह पाया गया कि शासनादेश दिनांक 16-03-2015 को तत्काल प्रभाव से प्रभावी किये जाने के फलस्वरूप परिवहन निगम में ए0सी0पी0 के सदंर्भ में कार्मिकों के दो प्रकार के वर्ग हो गये है, एक वो जिन्हें में छठवें वेतनमान के लागू किये जाने की तिथि दिनांक 13-01-2010 से ए0सी0पी0 का वास्तविक लाभ प्रदान किया जा चुका है। दूसरा वर्ग वह है जिन्हें दिनांक 16-03-2015 के पूर्व से ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के बावजूद ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्यता की तिथि से प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

३. बैठक में विचार-विमर्श के उपरांत यह सहमति बनी कि वित्त विभाग की सहमति से जारी शासनादेश दिनांक 16-03-2015 में उल्लिखित व्यवस्था, जिसके कारण सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हुई, को वित्त विभाग के संज्ञान में लाते हुए वित्त विभाग से उक्त कठिनाई के निराकरण की दिशा में शासनादेश दिनांक 16-03-2015 के क्रम में यह स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमती प्राप्त की जाये कि जिन सार्वजनिक निगमों ने शासनादेश दिनांक 16-03-2015 जारी होने से पूर्व अपने यहॉ ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू कर ली है वे निगम शासनादेश दिनांक 16-03-2015 की व्यवस्था प्रभावित नहीं होगें ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 16-03-2015 के तत्काल प्रभाव से प्रभावी होने के फलस्वरूप उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम में ए0सी0पी0

http://uptransport.up.gov.in/

की दोहरी व्यवस्था से उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों से सार्वजनिक उद्यम विभाग सहमत है तथा उक्त कठिनाईयों को वित्त विभाग के संज्ञान में लाते हुए उनके निराकरण हेतु भी सहमत है।

४. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रदान की गयी उक्त सैद्वांतिक सहमति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 16-10-2009 के आधार पर उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम के कार्मिकों को अनुमन्य ए0सी0पी0 की व्यवस्था सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 16-03-2015 की व्यवस्था से प्रभावित नहीं होगी।

५. अत उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम के नियमित एवं पूर्व कालिक कार्मिकों को सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 16-10-2009 में उल्लिखित प्राविधानों एवं संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन-बैण्ड एवं ग्रेड-पे दिनांक 01-01-2006 से परिकल्पित आधार पर आगणित करते हुए इसका वास्तविक लाभ शासनादेश दिनांक 13-01-2010 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रदान किये जाने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इस पर आने वाला समस्त व्यय-भार परिवहन निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार से किसी प्रकार की सहयता/अनुदान देय नहीं होगी।

भवदीय,
ह0
राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in/